

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक:- प.1(ग)()का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./18/15648

दिनांक:- ७/7/18

—: आदेश :—

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा वर्ग के निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र.स.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहां से	कहां को
1	श्री राधेश्याम छीपा	सहा. राजस्व निरीक्षक	नोखा	देशनोक
2	श्री किशन लाल यादव	कनिष्ठ लेखाकार	माउन्ट आबू	नाथद्वारा
3	श्री विनोद कुमार गर्ग	वरिष्ठ लिपिक	श्रीगंगानगर	बीकानेर
4	श्री महेन्द्र कुमार सुलानिया	कनिष्ठ लिपिक	जोबनेर (स्थानान्तरणाधीन)	चाकसू
5	श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा	कनिष्ठ लिपिक	आदेशो की प्रतीक्षा उप निदेशक क्षेत्रीय, बीकानेर	किशनगढ रेनवाल
6	नीतू देवी आर्य	माली	तिजारा	अलवर

श्री राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल, कनिष्ठ लिपिक का विभागीय आदेश क्रमांक 18597-18617 दिनांक 23.01.2018 के द्वारा नगर पालिका, कुम्हेर से नगर पालिका, राजाखेडा में किया गया पदस्थापन आदेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है। श्री जायसवाल यथावत नगर पालिका, कुम्हेर में कार्य करते रहेंगे।

उक्त कर्मचारीयो को तुरन्त कार्यमुक्त कर पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करवाये।

नोट:-

1. स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
2. स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन का भुगतान किया जावे।
3. यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
4. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
5. कर्मचारी को पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं कराया गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जाये।

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त
शासन सचिव

क्रमांक:- प.1(ग)()का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./18/15649-688 दिनांक:- 9/7/8

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर।
4. उप निदेशक (क्षै0) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/भरतपुर/कोटा
/बीकानेर/उदयपुर/जोधपुर/अजमेर।
5. महापौर/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशायी अधिकारी/नगर निगम/नगर पालिका/पालिका..
.....।
6. श्री..... पद..... नगर पालिका.....।
7. सुरक्षित पत्रावली।


(अलका मीणा)
उप निदेशक (प्रशासन)